



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड


(वाणिज्य शाखा) CIN - U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष - 0145-2644501, फेक्स - 0145-2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.-II/2016-17/प्रे 18 दि: 5/17

स्पष्टीकरण

विषय:- कृषि श्रेणी में बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में ।

कृषि श्रेणी में बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में आदेश वाणिज्य अ.ज.-653 दिनांक 20.02.2017 एवं संशोधन आदेश वाणिज्य अ.ज. 657 दिनांक 17.03.2017 जारी किये गये थे। इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि कृषि श्रेणी में बूंद-बूंद योजना के अन्तर्गत ऐसे कनेक्शन जो 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हो गये है ऐसे कनेक्शनों पर भी सरकार द्वारा अनुदान के पश्चात प्रभावी विद्युत दर रु 0.90/- प्रति युनिट लागू होगी।


(एन. एल. सालवी) 5/4/2017

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर